राजस्व अपील संख्या 147 / 2021
अनवान
हताराम बनाम सरकार वगैरा

दिनांक 19–4–2022

पत्रावली आज पेश हुई । रेस्पो0 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित । उक्त अपील के सुनवाई क्षेत्राधिकार परिवर्तन हो जाने के कारण न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी पाली से न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर जोधपुर मे सुनवाई हेतु प्राप्त होने पर तथा उक्त अपील पाली जिले की होने से इस न्यायालय को सुनवाई हेतु प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई ।
अपीलांट की ओर से इस न्यायालय हाजा मे कोई अधिवक्ता उपस्थित नही होने पर इस न्यायालय हाजा से न्यायहित मे अपीलांट के नाम दिनांक 4–8–2021 को एक रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया जाने पर रजिस्टर्ड लिफाफे पर अपीलांट (प्राप्तकर्ता) की मृत्यु हो जाने की सूचना दिंनाक 14–8–2021 को प्राप्त हुई, जो शामिल पत्रावली है । उसके पश्चात भी लगभग 8 माह व्यतित हो चुके है परंतु अपीलांट के कायम मुकाम की ओर से न्यायालय मे किसी अधिवक्ता ने उपस्थित होकर वकालातनामा प्रस्तुत नही किया है और न ही अपीलांट की ओर से कोई उपस्थित ही हो रहे है । ऐसे मे अपीलांट की उक्त अपील को आगे चलाना न्यायसंगत नही होने से उक्त अपील अपीलांट की अदम हाजरी मे खारीज की जाती है । पत्रावली फैसलशुमार होकर नंबर से कम हो । अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड निर्णय की सत्यप्रति के साथ लौटाया जाये । निर्णय आज खुले न्यायालय सुनाया गया ।

संभागीय आयुक्त
जोधपुर